

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

(जुलाई, 2019 सत्र)

(08 जुलाई, 2019 से 26 जुलाई, 2019 तक)

प्रश्नोत्तरों के लिये विभागों के वर्ग, प्रत्येक विभाग के लिए प्रभारी मंत्री, उत्तरों के लिए निश्चित दिनांक तथा उस दिनांक के लिए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अन्तिम दिनांक दर्शाने वाला विवरण

विभाग का नाम	प्रभारी मंत्री	उत्तरों (सदन की बैठक) के लिये निश्चित दिनांक	प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अन्तिम दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)

वर्ग-1

गृह	गृह मंत्री		
जेल	— " —		
भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	भोपाल गैस त्रासदी मंत्री		
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	— " —		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	— " —	08-07-2019	28-06-2019
पंचायत एवं ग्रामीण विकास	पंचायत मंत्री	15-07-2019	05-07-2019
किसान कल्याण तथा कृषि विकास	किसान कल्याण मंत्री	22-07-2019	12-07-2019
उद्योगिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	— " —		
नर्मदा घाटी विकास	नर्मदा घाटी विकास मंत्री		
पर्यटन	— " —		

(1)	(2)	(3)	(4)
वर्ग-2			
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन अध्यात्म	मुख्यमंत्री — " —		
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	— " —		
विमानन	— " —		
लोक सेवा प्रबंधन	— " —		
अप्रवासी भारतीय	— " —		
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार.	— " —	09-07-2019	01-07-2019
जनसम्पर्क	— " —	16-07-2019	06-07-2019
सामान्य प्रशासन	सामान्य प्रशासन मंत्री	23-07-2019	15-07-2019
सहकारिता	— " —		
संसदीय कार्य	— " —		
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री		
वित्त	वित्त मंत्री		
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	— " —		
विधि और विधायी कार्य	विधि और विधायी कार्य मंत्री		
वर्ग-3			
चिकित्सा शिक्षा	चिकित्सा शिक्षा मंत्री		
संस्कृति	— " —		
आयुष	— " —		
वाणिज्यिक कर	वाणिज्यिक कर मंत्री	10-07-2019	02-07-2019
महिला एवं बाल विकास	महिला एवं बाल विकास मंत्री	17-07-2019	08-07-2019
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री	24-07-2019	16-07-2019
राजस्व	राजस्व मंत्री		
परिवहन	— " —		
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	खाद्य मंत्री		

(1)	(2)	(3)	(4)
वर्ग-4			
लोक निर्माण	लोक निर्माण मंत्री		
पर्यावरण	— " —		
जल संसाधन	जल संसाधन मंत्री		
ऊर्जा	ऊर्जा मंत्री	11-07-2019	03-07-2019
खेल एवं युवक कल्याण	खेल एवं युवक कल्याण मंत्री	18-07-2019	09-07-2019
उच्च शिक्षा	— " —	25-07-2019	17-07-2019
कुटीर एवं ग्रामोद्योग	कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री		
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	— " —		
श्रम	श्रम मंत्री		
वर्ग-5			
पशुपालन	पशुपालन मंत्री		
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	— " —		
स्कूल शिक्षा	स्कूल शिक्षा मंत्री		
खनिज साधन	खनिज साधन मंत्री	12-07-2019	04-07-2019
वन	वन मंत्री	19-07-2019	10-07-2019
*आदिमजाति कल्याण	आदिमजाति कल्याण मंत्री	26-07-2019	18-07-2019
विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजातीय कल्याण	— " —		
नगरीय विकास एवं आवास	नगरीय विकास एवं आवास मंत्री		
सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण	सामाजिक न्याय मंत्री		
अनुसूचित जाति कल्याण	— " —		

भोपाल :
दिनांक : 07 जून, 2019

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

- नोट.— 1. विवरण के स्तम्भ (3) व (4) में उल्लिखित दिनांक स्तम्भ (1) में दिये गये विभागों के सम्पूर्ण वर्ग को लागू होगी.
2. प्रश्नों के उत्तर उपर्युक्त प्रारूप में ही भेजें.
3. प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अंतिम दिनांक स्तम्भ (4) में दर्शाया गया है. नियत दिनांक तक उत्तर अनिवार्यतः भेजे जायें.
4. निर्धारित दिनांक तक जिन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं होंगे ऐसे प्रश्नों को टीप : "मंत्री महोदय की ओर से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ" के साथ प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित करा दिया जायेगा.
5. प्रश्नों के उत्तर ऑनलाईन ही प्राप्त किये जायेंगे तथा यदि संलग्न परिशिष्ट की अधिकतम पृष्ठ संख्या 3 है तो उसे भी ऑनलाईन स्वच्छ/पठनीय प्रति ही प्रेषित की जाये, किन्तु यदि परिशिष्ट की पृष्ठ संख्या तीन पृष्ठ से अधिक हो तो उसकी पांच प्रतियां सक्षम अधिकारी से अभिप्रमाणित कराकर उत्तर प्रेषण के दिनांक को ही विधानसभा सचिवालय में ऑफलाईन (हार्ड कापी) भेजी जायें.
6. किसी प्रश्न के संबंध में स्पष्टीकरण / परिवर्तन / पुनर्विचार अथवा अन्य विभागों को हस्तांतरण अपरिहार्य हो तो ऐसे अनुरोध प्रश्न प्राप्ति के 3 दिन के अन्दर भेजे जाने चाहिए. उत्तर भेजने की अंतिम तिथि में ऐसे अनुरोध विचार योग्य नहीं होंगे.
7. *मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्र. 132, दिनांक 23 मार्च, 2019 के द्वारा "जनजातीय कार्य विभाग" का नाम परिवर्तित कर "आदिमजाति कल्याण विभाग" किया गया।

प्र-1 अ 6868/2019

भोपाल, दिनांक 11 जून, 2019

प्रतिलिपि :—

- (1) मुख्यमंत्री,
- (2) समस्त मंत्री, राज्यमंत्री,
- (3) मुख्य सचिव,
- (4) समस्त प्रमुख सचिव तथा
- (5) शासन के समस्त विभागों

को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.